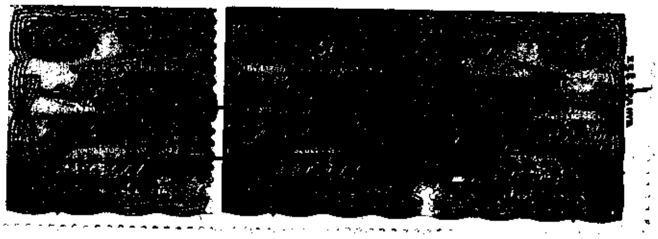

समक्ष- न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. भोपाल ग्वालियर म.प्र.

000

रा.अपील क्र. /2014 A-3195-PB/14

(93)

गुरुदयाल व. किशोरीलाल पारधे उम्र 67 वर्ष
जाति कुन्बी पेशा कृषि, निवासी ग्राम मण्डई बुजुर्ग
तहसील जिला बैतूल (म.प्र.)

(~~अपीलार्थी~~) आवेदक/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

रामपाल व. इन्दल बिसटे उम्र 54 वर्ष
जाति कुन्बी, पेशा कृषि, निवासी ग्राम कुम्हारिया,
पो. माचनी तह. बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
पिन- 460001

(~~गैर अपीलार्थी~~) अनावेदक

श्री गुरुदयाल द्वारा आज दिनांक 20.8.14 को प्रस्तुत।
20/8/14.

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

(~~द्वितीय अपील मेमोरेंडम~~) निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

(~~द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(2)(iii) म.प्र.भू रा.सं. 1959~~)

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– निगरानी 3195 –पीबीआर/14 जिला–बेतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–11–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 14.6.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधि संगत है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन पर विचार नहीं किया जा सकता है । यदि आवेदक सीमांकन से व्यथित था, तब उसे सीमांकन आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करना चाहिए थी । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	